धारा-63. अंशदायी भविष्य निधि.- (1) जिस सहकारी समिति के पास ऐसी संख्या में या ऐसे वर्ग के कर्मचारी हों, जो नियत किये जायें वह ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिये एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी, जिसमें समिति के उप-विधियों के अनुसार कर्मचारियों और समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान जमा किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित अंशदायी भविष्य निधि-

(क) समिति के कारोबार के लिये प्रयोग में नहीं लायी जायेगी,

(ख) समिति की परिसम्पत्तियों का भाग नहीं होगी,

(ग) न कुर्क की जा सकेगी और न किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधीन होगी, और

(घ) धारा 41 के अधीन सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त मांग का भुगतान करने के लिए प्रभार या मुजरायी के अधीन न होगी।